[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 22.06.2018

सं. 57/2018-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 582 (अ)- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में अनिवार्य है, एतद्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/2010-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 30 जून, 2010 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में सा.का.नि. 568 (अ), दिनांक 30 जून, 2010 के तहत प्रकाशित हुई थी, ऐसे संशोधन से पूर्व किए गए अथवा करने से छोड़े गए कार्य के अलावा, निम्नलिखित संशोधन करती है, नामश:-

1. उक्त अधिसूचना में,-

   (i) खंड (iv) और (v) हटा दिए जाएंगे;

   (ii) स्पष्टीकरण में "पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)," शब्द, आंकड़े और कोष्ठक हटा दिए जाएंगे;

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 394/04/2018- सीमाशुल्क (ए एस)]

रोहित 22.06.18
(रोहित आनंद)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: अधिसूचना सं. 51/2010-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 30 जून, 2010, भारत के राजपत्र, असाधारण, में संख्या सा.का.नि. 568(अ), दिनांक 30 जून, 2010 के तहत प्रकाशित हुई थी।]